

वाचा :-

१. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक दवसु-२००८/प्र.क्र. ५२४/विघयो-१, दिनांक १४/११/२००८
२. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक दवसु-२०११/प्र.क्र. ४४२/अजाक, दिनांक ५ डिसेंबर, २०११
३. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय क्रमांक दवसु-२०१५/प्र.क्र.५९/ अजाक-१, दिनांक २७ मे, २०१५.
४. सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग शासन निर्णय (शुध्दीपत्रक) क्र.दवसु- २०१५/प्रक्र.५९/अजाक-१ दि.०८ मार्च, २०१६.
५. ग्राम विकास व जलसंधारण विभाग, मंत्रालय, मुंबई शासन निर्णय क्र. झेडपीए- २०१६/प्र.क्र. -५६/ वित्त-९ दि.०७/१०/२०१७
६. मा. जिल्हा परिषद सर्वसाधारण सभा दि.१८/०१/२०२१ चा मंजूर ठराव.
७. मा. समाज कल्याण समिती सभा दि. ०९/०३/२०२१ व दि.२५/०३/२०२१ चे मंजूर ठराव.
८. मा.अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जि.प.कोल्हापूर यांचेकडील मंजूर टिपणी दि.१८/०५/२०२१

क्र.जिसकअ/काजिप/अजानबोधववि/प्र.मा.२०२०-२१/ २२२ /२०२१

दिनांक : १८/०५/२०२१

प्रशासकीय मान्यता आदेश

सन २०२०/२१ मध्ये अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे (२२२५-E५१६) या योजनेतर्गत खालील तक्त्यात रकाना क्र ५मध्ये नमुद केलेल्या कामाला दर्शविलेल्या अंदाजपत्रकिय रक्कमेस अनुसरून या आदेशाद्वारे सोबतच्या यादीतील रकाना क्र ६ मध्ये दर्शविलेल्या रकमेस व कामास सोबतच्या परिशिष्ट व च्या अधिन राहून प्रशासकीय मान्यता देणेत येत आहे.

| क्र. | तालुका | ग्रामपंचायतीचे नाव | वस्तीचे नाव व सांकेतांक | कामाचे नाव | अंदाजपत्रकीय रक्कम | प्रशासकीय मान्यता रक्कम रु. |
|------|----------|--------------------|-------------------------|------------------------|--------------------|-----------------------------|
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ |
| १०. | राधानगरी | | | सोबत यादी (परिशिष्ट अ) | | |

वरील कामासाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक वर्षात अनुसुचित जाती व नवबौध्द घटकांच्या वस्तींचा विकास करणे (२२२५-E५१६) या लेखाशिर्षाखाली मंजूर अनुदानातून खर्च करणेत यावा. सदर कामाचा निधी दि. ३१ मार्च, २०२२ अखेर खर्च करणेचा आहे. सदर कामासाठी रकाना क्र.६ मध्ये दर्शविलेल्या प्रशासकीय मान्यतेपेक्षा जादा खर्च करणेचा नाही. मंजूर अनुदानातून कामे वेळेत पूर्ण करून घेणेची जबाबदारी संबंधित गट विकास अधिकारी व उपअभियंता यांची राहिल. मंजूर अनुदानापेक्षा जादा खर्च केल्यास इकडून देय होणार नाही.

तसेच सोबतच्या यादीतील रकाना क्र. ७ मध्ये नमुद केलेली ९०% (नव्वद टक्के) रक्कम आपले गटाकडे वित्त प्रेषणाद्वारे वर्ग करण्यात येईल. सदरचे अनुदान सन २०२०-२०२१ असलेने दि. ३१ मार्च, २०२२ अखेर १००% (शंभर टक्के) काम पुर्ण करणेचे आहे. सदरचा योजनेचा खर्च हा खालील लेखाशिर्षाखाली करणेचा आहे.

लेखाशिर्ष- मागणी क्र. ६, २२२५ अनु. जाती, अनु. जमाती व इतर मागासवर्ग व अल्पसंख्याक यांचे कल्याण, ०१, अनु. जातीचे कल्याण, ७८९, अनु. जाती उपयोजना (३१) जिल्हा योजना कोल्हापूर २२२५ ई ५१६, ३१-सहाय्यक अनुदाने (वेतनेत्तर)

(अजयकुमार माने)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,
जिल्हा परिषद, कोल्हापूर

प्रत : आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित

१. गटविकास अधिकारी, पंचायत समिती (सर्व), जिल्हा कोल्हापूर.

२. सरपंच / ग्रामसेवक, ग्रामविकास अधिकारी ग्रामपंचायत ----- ता. -----जि.कोल्हापूर.

प्रत : माहिती तथा आवश्यक त्या कार्यवाहीस्तव अग्रेषित :

३. मुख्य लेखा व वित्त अधिकारी, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.

४. कार्यकारी अभियंता, बांधकाम/ ग्रामीण पाणी पुरवठा विभाग, जिल्हा परिषद, कोल्हापूर.

परिशिष्ट -अ

अनुसूचीत जाती व नवबौध्द घटकांचा विकास करणे सन २०२०-२०२१

| तालुका - राधानगरी | | | | | | | |
|-------------------|---------------|------------------|-------------------|----------------------------|------------------------------------|---------------------|---------------------|
| अ. क्र. | गावचे नांव | वस्तीचे नांव | वस्तीचा सांकेतांक | कामाचा तपशिल | अंदाजपत्रकीय मंजूर रक्कम रूपये लाख | १०% रक्कम रूपये लाख | १०% रक्कम रूपये लाख |
| १ | २ | ३ | ४ | ५ | ६ | ७ | ८ |
| १ | तरसंबळे | हरिजन वसाहत | १६/१०/१७० | रस्ते व गटर्स | ७.०० | ६.३० | ०.७० |
| २ | तरसंबळे | हरिजन वसाहत | १६/१०/१७० | पाणीपुरवठा योजना | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| ३ | क.तारळे | बुरूड वस्ती | १६/१०/०६२ | विद्युतीकरण | ७.०० | ६.३० | ०.७० |
| ४ | क.तारळे | हरिजन वसाहत | १६/१०/०६१ | विद्युतीकरण | ३.०० | २.७० | ०.३० |
| ५ | क.तारळे | हरिजन वसाहत | १६/१०/०६१ | रस्ते व गटर्स | ४.०० | ३.६० | ०.४० |
| ६ | पुगांव | हरिजन वसाहत | १६/१०/११९ | समाजमंदिर दुरूस्ती | १.०० | ०.९० | ०.१० |
| ७ | आवळी बु. | चर्मकार | १६/१०/००११ | रस्ते व गटर्स | ३.०० | २.७० | ०.३० |
| ८ | आमजाई व्हरवडे | हरिजन | १६/१०/००६ | समाजमंदिर दुरूस्ती | १.०० | ०.९० | ०.१० |
| ९ | पुगांव | हरिजन वसाहत | १६/१०/११९ | पाणीपुरवठा योजना | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| १० | आवळी खुर्द | हरिजन वसाहत | १६/१०/०१४ | विद्युतीकरण | ३.०० | २.७० | ०.३० |
| ११ | आवळी खुर्द | हरिजन वसाहत | १६/१०/०१४ | रस्ते गटर्स | ३.०० | २.७० | ०.३० |
| १२ | आमजाई व्हरवडे | हरिजन | १६/१०/००६ | रस्ते गटर्स | १.८० | १.६२ | ०.१८ |
| १३ | तारळे खुर्द | हरिजन वसाहत | १६/१०/१७३ | रस्ते व गटर्स | ३.५० | ३.१५ | ०.३५ |
| १४ | क.तारळे | हरिजन | १६/१०/०६१ | रस्ता | ३.५० | ३.१५ | ०.३५ |
| १५ | कं थंवाडी | चर्मकार वस्ती | १६/१०/०६० | पाणीपुरवठा योजना | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| १६ | घुडेवाडी | चर्मकार वस्ती | १६/१०/०५३ | पाणीपुरवठा योजना | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| १७ | कांदवडे | हरिजन | १६/१०/०७९ | नपापु योजना /पाण्याची टाकी | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| १८ | चाफोडी | चर्मकार | १६/१०/०३२ | नपापु योजना /पाण्याची टाकी | २.१० | १.८९ | ०.२१ |
| १९ | मोहडे | हरिजन | १६/१०/०१०२ | नपापु योजना /पाण्याची टाकी | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| २० | पडसाळे | हरिजन | १६/१०/०११७ | नपापु योजना /पाण्याची टाकी | २.३० | २.०७ | ०.२३ |
| २१ | मालवे | हरिजन | १६/१०/००९६ | नपापु | ६.०० | ५.४० | ०.६० |
| २२ | मालवे | हरिजन | १६/१०/००९६ | गटर्स | ४.०० | ३.६० | ०.४० |
| २३ | मोघडे | हरिजन वस्ती | १६/१०/०१०१ | रस्ता व गटर्स करणे | ८.०० | ७.२० | ०.८० |
| २४ | बुजवडे | हरिजन वस्ती | १६/१०/००२७ | न पा पु योजना | २.०० | १.८० | ०.२० |
| २५ | ऐनी | हरिजन वस्ती १ | १६/१०/००२३ | रस्ता व गटर्स करणे | ४.०० | ३.६० | ०.४० |
| २६ | आकनुर | चर्मकार वसाहत | १६/१०/००२२ | रस्ता व गटर्स करणे | ८.०० | ७.२० | ०.८० |
| २७ | तुरंबे | हरिजन वस्ती | १६/१०/०१७१ | रस्ता गटर्स | ८.०० | ७.२० | ०.८० |
| २८ | सावडे पाटण | हरिजन वस्ती | १६/०१०/१५५ | रस्ता गटर्स | १०.०० | ९.०० | १.०० |
| २९ | नरतवडे | चर्मकार वस्ती | १६/०१०/११२ | विद्युतीकरण | १.५० | १.३५ | ०.१५ |
| ३० | नरतवडे | वरील हरीजन वस्ती | १६/०१०/११३ | विद्युतीकरण | ३.०० | २.७० | ०.३० |
| ३१ | नरतवडे | वरील हरिजन वस्ती | १६/०१०/११४ | रस्ता व गटर्स करणे | ५.२२ | ४.७० | ०.५२ |
| ३२ | क.वाळवे | हरिजन वस्ती १ | १६/०१०/००६५ | रस्ता व गटर्स करणे | १५.०० | १३.५० | १.५० |

| | | | | | | | |
|----|-----------------------|------------------------------|--------------|--------------------------|------|------|------|
| ३३ | क.वाळवे | हरिजन वस्ती २ | १६/०१०/००६६ | रस्ता व गटर्स करणे | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ३४ | माजगाव | हरिजन वस्ती | १६/०१०/०१०० | रस्ता व गटर्स करणे | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ३५ | गवशी | हरिजन वसाहत | १६/०१०/००४४ | रस्ता | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ३६ | वाघवडे | हरिजन वसाहत | १६/०१०/०१९१ | रस्ते व गटर्स करणे | ३.०० | २.७० | ०.३० |
| ३७ | वाघवडे | चर्मकार | १६/०१०/०१९२ | रस्ते व गटर्स करणे | २.०० | १.८० | ०.२० |
| ३८ | कोनोली (पानारवाडी) | चर्मकार | १६/०१०/००७८ | रस्ता | २.०० | १.८० | ०.२० |
| ३९ | चांदे | हरिजन वसाहत | १६/०१०/००३६ | रस्ता | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ४० | येळवडे | हरिजन वसाहत | १६/०१०/०१८८ | रस्ता | ४.०० | ३.६० | ०.४० |
| ४१ | चाफोडी | हरिजन वसाहत | १६/०१०/००३१ | रस्ता | ४.०० | ३.६० | ०.४० |
| ४२ | राधानगरी | संत रोहीदास चर्मकार वस्ती | १६/०१०/०१३० | रस्ते व गटर्स | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ४३ | चाफोडी तर्फ ऐनेगुळ | हरिजन वस्ती | १६/०१०/००३० | रस्ता व गटर्स नपापु करणे | २.०० | १.८० | ०.२० |
| ४४ | मानबेट | हरिजन वस्ती | १६/०१०/०१०९ | रस्ता व गटर्स नपापु करणे | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ४५ | पडसाळी | हरिजन वस्ती | १६/०१०/०११७ | रस्ता व गटर्स नपापु करणे | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ४६ | दुर्गमानवाड | हरिजन वस्ती | १६/०१०/००३९ | रस्ता व गटर्स नपापु करणे | ५.०० | ४.५० | ०.५० |
| ४७ | पडळी | हरिजन वस्ती | १६/०१०/०११८ | समाज मंदीर बांधणे | ६.०० | ५.४० | ०.६० |
| ४८ | तळाशी | हरिजन | १६/०१०/०१७५ | रस्ते व गटर्स करणे | ४.०० | ३.६० | ०.४० |
| ४९ | शेळेंवाडी | हरिजन | १६/००१०/०१६२ | रस्ता | ५ | ४.५० | ०.५० |

(अजयकुमार माने)

अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी,

जिल्हा परिषद, कोल्हापूर